न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी अधीन धारा 53 व 88 आर.टी.एक्ट

संख्या :– 08/2012

वादी	प्रतिवादीगण
किशनाराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर	1. तेजाराम पुत्र धनाराम 2. चुनाराम पुत्र धन्नाराम 3. अनी देवी पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी बीरमसर तह0 नोखा जिला बीकानेर 4. रेवन्तराम पुत्र अन्नाराम 5. मगाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी बीरमबसर तह0 नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी बु–कर्मसोता तह0 व जिला नागौर 6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वकील वादीगण
श्री कन्हैयालाल सुथार,

वकील प्रतिवादीगण
श्री अजीतसिंह जोधा

निर्णय

दिनांक :– 02.11.2020

1. वदी ने वाद पेश किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनकी पैतृक सम्पति खातेदारी का खेत हाल ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा सरहद मौजा बू–कर्मसोता में स्थित है। उक्त खेत पहले स्व. श्री देवाराम जी की खातेदारी व बंट में था। उनके देहांत होने पर उनके तीनों पुत्रगण क्रमशः धन्नाराम, अन्नाराम व किशनाराम ब0हि0ब0 के हकदार हुए। अब धन्नाराम व अन्नाराम का देहांत हो चुका हैं, उनके वारिशों के नाम से राजस्व रेकर्ड बन चुका हैं। वादी का वादग्रस्त खेत ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा में 1/3 हिस्सा वंशावली के अनुसार हैं। मौके पर भूमि का सम्वत 2042 में ही बंटवाड़ा कर लिया था तथा वादी का बंट 1/3 हिस्सा रकबा 27–13 बीघा ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा के उतरी भाग हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 का 1/3 हिस्सा रकबा 27–13 बीघा वादी के दक्षिण में अर्थात् बीच में हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा में से 27–12 बीघा इस खेत

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

का दक्षिणी हिस्सा हैं। वादग्रस्त खेत का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ हैं, लेकिन रेकर्ड में नहीं होने से प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.12.11 को धमकी दी कि वे उनके बंट में काश्त नहीं करने देंगें। ऐसी सूरत में बिनाय वाद ग्राम बू–कर्मसोता में उत्पन्न हुआ।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 से 3 की ओर से वकील श्री अजीतसिंह जोधा ने दिनांक 17.07.2012 को वकालातनामा पेश किया तथा पर्याप्त अवसर जवाब पेश करने का देने के बावजूद जवाब पेश नहीं होने से दिनांक 25.06.2014 को इनका जवाब बंद कर दिया गया। प्रतिवादी से 4 व 5 के विरूद्ध पर्याप्त व उचित तामिल हो जाने व उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 04.08.16 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. दिनांक 26.09.19 को वादी किशनाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। उन्होने अपने बयान में बताया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। मेरे पिता देवाराम के तीन लड़के हुए मैं, मेरा भाई अन्नाराम व धन्नाराम थे। अन्नाराम, धन्नाराम का देहान्त हो गया। अन्नाराम के पुत्र रेवंतराम व मघाराम हैं। धन्नाराम के तेजाराम, पूनाराम व अन्नी बैवा हैं। हमारे संयुक्त खातेदारी का खेत ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा ग्राम बू–कर्मसोता तह0 नागौर में स्थित हैं। इस खेत में 1/3 हिस्सा मेरा हैं तथा मेरे दोनों भाईयों का 1/3, 1/3 हिस्सा हैं। इस खेत का हमारे बीच आपसी बंटवाड़ा सम्वत 2042 में हो गया था। मोके पर बंटवाड़े माफिक काबिज है। हमारे बंटवाड़ा सम्वत 2042 में आखातीज के दिन हुआ था। मेरे बंट में ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा में से 27–13 बीघा उत्तरी तरफ का रखा गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तेजाराम, चूनाराम व अन्नी देवी के शामलाती 27–12 बीघा वादी के बंट से दक्षिण में रखा हैं। प्रतिवादी सं. 4 व 5 रेवंतराम व मगाराम के बंट में 27–12 बीघा दक्षिणी सीमा के पास रखा हैं। इसी अनुसार मौके पर सीमाएं बनाकर खेत अलग–अलग किये हुए हैं। इसी अनुसार हमारा बंटवाड़ा किया जावे। नकल खतौनी प्रदर्श–1 हैं, जो ख.नं. 328 मौजा बू–कर्मसोता तहसील नागौर की सम्वत 2063–66 पेश की हुई हैं।

4. दिनांक 02.11.2020 को वकील वादी को सुना गया। उन्होने जाहिर किया कि संयुक्त खातेदारी का मौके पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार वादी रेकर्ड में बंटवाड़ा चाहता हैं, जो इस्तदुआ के अनुसार किया जावे। दावे के साथ पेश की गई नकल जमाबंदी ग्राम बू–कर्मसोता सम्वत 2063–66 के खाता सं. 52 ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा के सह खातेदार तेजाराम, चुनाराम पिता धन्नाराम, अन्नीदेवी पत्नी धन्नाराम, किशनाराम पुत्र देवाराम, रेवंतराम, मंगाराम पिता अन्नाराम कौम जाट सा. बीरमबसर खातेदार दर्ज हैं। जिससे साबित हैं कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं, जिसे वादी रेकर्ड में अलग–अलग करवाना चाहते हैं।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

अतः वाद की इस्तदुआ के अनुसार वाद ग्रस्त भूमि ख.नं. 328 रकबा 82–17 बीघा का विभाजन धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत निम्नानुसार किया जाता हैं :–

1. किसनाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी बीरमसर तह0 नोखा जिला बीकानेर ख.नं. 328 में से 27–13 उत्तरी भाग व लगान 6.91 रूपये।
2. तेजाराम, चूनाराम पिता धन्नाराम, अन्नीदेवी पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी बीरमसर तह0 नोखा जिला बीकानेर ख.नं. 328 में से 27–12 मध्य भाग व लगान 6.90 रूपये।
3. रेवंतराम, मगाराम पिता अन्नाराम जाति जाट निवासी बीरमसर तह0 नोखा जिला बीकानेर ख.नं. 328 में से 27–12 दक्षिणी भाग व लगान 6.90 रूपये।

उक्तानुसार बंटवाड़ा किया जाकर वाद में डिक्री जारी की जाती हैं। रेकर्ड में अमल दरामद हेतु इस निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार नागौर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस.(मु.)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर